न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : (210/19) 501/2016

वादी ::–

1. गोरधनराम दत्तक पुत्र लिकमाराम जाति–रेगर, उम्र– व्यस्क, निवासी–बलाड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

बनाम

प्रतिवादीगण::–

1. लिकमाराम पुत्र सुजाराम जाति–रेगर निवासी–बलाड़ा, तहसील–जैतारण।
2. श्रीमति कमला पत्नी लिकमाराम जाति–रेगर निवासी–बलाड़ा जैतारण।
3. श्रीमती ममता पुत्री लिकमाराम पत्नी श्यामलाल जाति–रेगर निवासी पाटण रास तहसील–जैतारण।
4. रेखा पुत्री लिकमाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति–रेगर निवासी–सर्वोदय नगर पाली, तहसील–जैतारण।
5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 डी व धारा 151सी.पी.सी.

तारीख रजू 18/1/2017

उपस्थितः–

1. श्री बचनाराम पन्नू, संगीता व्यास, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 17/03/2020

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) 151 सीपीसी विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अवनवान का वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा वादी ने पेश किया है। जबकि उक्त भूमि पर वादी का कोई हक अधिकार हिस्सा नहीं है वादी अपने आपको प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का दत्तक पुत्र बताकर झूठा दावा किया है जबकि वादी ने अपनी पत्नी से अपने श्वसुर यानि लिखमाराम के विरूद्ध लज्जा भंग का मुकदमा करवाकर गिरफ्तार करवा दिया। जबकि लिखमाराम 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति हे। वादी अपने माता पिता का भरण पोषण भी नहीं कर रहा हे। लिखमाराम की दोनों लड़किया अपने माता पिता की सेवा चाकरी करती है। लिखमाराम व उनकी पत्नी ही सेवा चाकरी से खुश होकर जमीन का बक्सीशनामा करवाया। जिससे नाराज होकर वादी ने दावा किया बख्शीशनामा रद करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद किया जाता है। उक्त वाद अदालतबाला को सुनने का अधिकारी नहीं है जब तक रजिस्टर्ड बक्शीशनामा सिविल कोर्ट से खारिज नहीं हो जाता है तब तक उक्त वाद नहीं चल सकता। उक्त वाद विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी/वाद ने पेश किया है कि वादी प्रतिवादी लिखमाराम का दत्तक पुत्र है प्रतिवादी ने पूरे समाज के सामने पूरी रश्मे एवं रीति रिवाज के अनुसार वादी के माता पिता की सहमति से गोद में बैठकर बचपन से ही गोद लिया था कानूनी अड़चन न हो इसलिए प्रतिवादी लिखमाराम ने दिनांक 23.07.2013 को लिखित गोदनामा तैयार कर तहसील में पंजीकृत करवाया। जो विधि अनुसार है बचपन से आज तक वादी गोरधनराम प्रतिवादी लिखमाराम के पास ही रहा है। एवं सेवा चाकरी एवं भरण पोषण कर रहा है। बिमार होने पर ईलाज करा रहा हें घर खर्च वादी वहन कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय जैतारण में गोदनामा केसिंलेशन का दावा कर रखा है जो विचाराधीन है जब तक गोदनामा केन्सिल नहीं हो जाता तब तक वादी को अपने हक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। वादी से जब प्रतिवादी के गोद गया। तब से अपने पूर्व पैतृक माता पिता की तमाम चल व अचल सम्पति एवं अन्य विधिक अधिकार खो चुका है गोद जाने के बाद दतक ग्रहिता माता पिता की चल व अचल सम्पति में तमाम अधिकार निहित हो चुके है एवं सगे पुत्र के समान सारे अधिकार प्राप्त कर लिये है इसलिए वादी को प्रतिवादी की तमाम चल व अचल सम्मति में अपना हिस्सा निहित हो चुका है परन्तु प्रतिवादी लिखमाराम अपनी पुत्रीयों के बहकावट में आकर वादी को घर बदर करना चाहता है इस नियत से अपनी कृषि भूमि का सारा हिस्सा अपनी पुत्रियों के नाम बक्सीसनामा कर चुका है एवं वादी की पत्नी को उसकी अनुपस्थित में शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकालना चाहता है जबकि वादी अपने दत्तक माता पिता की सेवा कर रहा है भरण पोषण कर रहे है। एक पुत्र के सारे फर्ज निभा रहा है। फिर भी प्रतिवादी लिखमाराम वादी को उसके जायज एवं कानूनी हक अधिकारों से वंचित कर रखा है। वादी के हिस्से की चल व अचल सम्पति भी नहीं दे रहा है। इसलिए वादी को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी एवं उक्त वाद प्रस्तुत करना पड़ा। प्रतिवादी को वादी के हिस्से की चल व अचल सम्पति से वंचित रखने का कोई हक अधिकार नहीं है। वादी दतक पुत्र होने के नाते उक्त वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की है जबकि वह वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार नहीं है। वादपत्र के पैरा संख्या 04 में वादी द्वारा यह उल्लेख किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 01 लिकमाराम द्वारा जरिये पंजीकृत बक्शीशनामा अपने हक हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 जो कि प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रियां है को हस्तांतरित कर दिया है। चूंकि वादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 01 लिकमाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी का पंजीकृत दस्तावेज से हस्तांतरण कर दिया गया है तथा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक वादी न्यायालय हाजा से अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता तथा पंजीकृत बक्शीशनामा को शून्य घोषित करना न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे है। अतः हस्तगत वाद पर न्यायालय हाजा द्वारा विचारण करना क्षेत्राधिकार एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

विधि द्वारा वर्जित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश– 07, नियम– 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थी/प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी/अप्रार्थी के विरुद्ध बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, वादी का वादपत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से परे होने, विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/03/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.04.11 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: